

महाप्रबंधक, सभी भारतीय रेलें,

दूरसंचार परिपत्र सं. 03/2020

विषय: भारतीय रेल के शेष रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई सुविधा के लिए विद्युत आपूर्ति का प्रावधान।

- संदर्भ: 1. रेलवे बोर्ड का दिनांक 20.11.2018 का पत्र संख्या 2008/ टेली/आरसीआईएल/ वाई-फाई/पार्द-।
2. रेलवे बोर्ड का दिनांक 14.05.2019 का पत्र संख्या 2018/टेली/6(4)/1.

1. मेसर्स रेलटेल द्वारा अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर स्थानीय क्षेत्र के विकास और यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेल के, हॉल्ट स्टेशनों को छोड़कर, सभी रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई सुविधा प्रदान की जा रही है।
2. उपरोक्त संदर्भ (i) और (ii) के अंतर्गत, रेलवे बोर्ड ने पहले ही 5091 स्टेशनों (यूएसओएफ के तहत 200, पीजीसीआईएल के तहत 100 और 4791 रेलवे स्टेशनों पर टाटा ट्रस्ट के सहयोग से) पर वाई-फाई उपकरण को रेलवे की "यात्री सुविधा" मद मानते हुए मुफ्त बिजली आपूर्ति के निर्देश जारी कर दिए हैं।
3. अब, पूर्ण बोर्ड ने निम्नलिखित को मंजूरी दी है: -
"शेष स्टेशनों (लगभग 1394) पर वाई-फाई उपकरण को रेलवे की "यात्री सुविधा" मद मानते हुए मुफ्त बिजली आपूर्ति की जाए"।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

हस्ता.

(धर्मेन्द्र सिंह)

निदेशक/दूरसंचार

फोन: 011-23388504, 030-44613

फैक्स: 011-23304690, 030-44690

ई-मेल-dtele@rb.railnet.gov.in

सं.2019/टेली वि./ वाई-फाई फैसिलिटी /स्टेशन

नई दिल्ली, दिनांक: 12.02.2020

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलें
2. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, सभी भारतीय रेलें।
3. भारत के उप नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।

हस्ता.

कृते सदस्य (वित्त)

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. मुख्य सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर एवं पीसीइड, सभी भारतीय रेलें (सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए)।
2. ई डी/ ई ई एम (सूचनार्थ)।
3. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (आरसीआईएल(सूचनार्थ)।
